# न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर

**उनवान — सरकार बनाम द्वारका प्रसाद**

**मुकदमा न. 26/18/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011**

| | |
|---|---|
| 16.08.2018 | पत्रावली पेश हुई खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी द्वारकाप्रसाद पुत्र मंगलचन्द यादव निवासी कुन्दलपुर पोस्ट आंतरी हाल– पुलिस लाईन के पास सीकर उपस्थित। बहस सुनी गई एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी नम्बर एफ–1151 वस्तु गाय का दुध का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाला, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण मिस बॉन्ड/अमानक का पाया गया है। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया परन्तु अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर बताते हुये कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। अतः अप्रार्थी द्वारका प्रसाद के 5,000/– रुपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये वरना अप्रार्थी के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो<br>निर्णय सुनाया गया । |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official